an>

Title: Need to give patient care allowance to Pharmacist who got promoted on merit basis in Government departments.

श्री राहुल शेवाले (मुम्बई दक्षिण मध्य) : सभापति महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र मुंबई साउथ सेंट्रल में एटामिक एनर्जी डिपार्टमेंट के कई विभाग स्थित हैं। इनमें भाभा एटोमिक रिसर्च सेंटर में ग्रुप बी के 4200 रूपये ग्रेड पे के फार्मासिस्टों को पेशेंट केयर एलाउंस देना बंद कर दिया गया है। यह एलाउंस उन फार्मासिस्टों को मिलता है, जो ग्रुप सी में कार्यरत है, परंतु जैसे ही उनका मैरिट प्रमोशन होता है, पीसी एलाउंस बंद कर दिया जाता है। सेंट्रल गवर्मेंट के सभी विभागों में कार्यरत फार्मासिस्टों के बारे में छठे वेतन आयोग सिफारिशें लागू होने के बाद यह विषय जे.सी.एम. में उठाया गया। जे.सी.एम. की 15.03.2012 को 33वीं मीटिंग में निर्णय लिया गया कि पेशेंट केयर एलाउंस उन सभ कर्मचारियों को दिए जाए जो ग्रुप डी या सी से मैरिट बेसिस पर 4200 रूपये ग्रेड पे पर ग्रुप बी में प्रमोट होते हैं। यह भी निर्णय हुआ कि जिनसे रिकवरी हुई वह बंद की जाए और रिकवर एमाउंट वापस पे किया जाए।परंतु 15.03.2012 के बाद से अभी तक जे.सी.एम. के निर्णय को लागू नहीं किया गया है।

आपके माध्यम से स्वास्थ्य मंत्री से मेरा अनुरोध है कि केंद्रीय सरकार के सभी विभागों विशेषकर बीएआरसी में कार्यरत फार्मासिस्ट को 4200 रूपये के ग्रेड बी में मेरिट बेसिस पर प्रमोट हुए हैं, उन्हें जे.सी.एम. के निणय के अनुसार पेशेंट केयर एलाउंस अवार्ड किया जाए।